



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 07 स्था0 (4) लिपिक-07/2018.....

दिनांक-/2025

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-03/एम0/-11/2017-सा0प्र0-3127, दिनांक-06.03.2018 में सन्निहित प्रावधान एवं उप निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मधेपुरा के पत्रांक 51, दिनांक 22.11.2024 एवं पत्रांक 05, दिनांक 07.02.2025 के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री नरेश चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, उप निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मधेपुरा के 50 वर्ष की आयु को पूर्ण करने एवं समय-समय पर आयोजित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में असफल रहने के फलस्वरूप श्री नरेश चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, उप निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मधेपुरा को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा के उत्तीर्णता से उनके समर्पित अभ्यावेदन की तिथि 05.11.2024 के प्रभाव से विमुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव में निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
3. इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

(डॉ० अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :- 07 स्था0 (4) लिपिक-07/2018.....796 (796) पटना-15, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपि:- श्री नरेश चौधरी, निम्न वर्गीय लिपिक, उप निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/25
संयुक्त निदेशक (मु0)।